ने भी कहा था, कुछ कानून में मजबूती लानी चाहिए।

Whatever legislation the Council of States or the Lok Sabha passes in relation to women and weaker sections, it has to be implemented. It should not be left to the people in the States to implement it the way they like, thus, making a mockery of the law passed by the august Houses of Parliament.

Demand of women's organisations for Constitution of Family Courts

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, आज मैं अपने इस विशेष उल्लेख के द्वारा सदन के माध्यम से सरकार एवं माननीय सदस्यों का ध्यान एक अत्यंत मानवीय मुद्दे और आधी दुनिया की अंधेरी जिंदगी में उजाला फैलने की सुगबुगाहट की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं जिसका इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में खुलकर विरोध किया जा रहा है। और दुख यह है कि इस विरोध के विरुद्ध किसी की आवाज नहीं उठ रही है। वह है– राजधानी में पारिवारिक अदालत कायम करने की महिलाओं व महिला संगठनों की मांग के संदर्भ में पुरुष सत्तात्मक समाज की खामोशी या विरोध में गूंजता स्वर। इस स्वर में सबसे ऊंची आवाज उस वर्ग की है जो अपने को बुद्धिजीवी और कानून का विशेषज्ञ मानता है। हालात यहां इस मोड़ तक आ पहुंचे हैं कि इन पारिवारिक अदालतों के गठन के समर्थन में उठे स्वर को खामोश करने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक महिला वकील की वकीलों द्वारा पिटाई की गई। उस पर अत्याचार किए गए, उसे मैन-हैंडल किया गया। उस को बार काउंसिल से डिबार कर दिया गया। उसकी मैंबरशिप खत्म कर दी गई। इस तरह के दो तीन केसेज रोज अखबारों में आ रहे हैं। अपने निजी हित के लिए पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा एक मानवीय मुद्दे का इस तरह विरोध महिलाओं के प्रति उन की तंग सोच का सबूत है।

महोदया, देश भर में इन पारिवारिक अदालतों के गठन के पीछे मंतव्य सदियों से शोषित, प्रताड़ित और घर की चहारदीवारी के भीतर अपने सपनों के क्षितिज को दम तोड़ने के लिए मजबूर करके जीने वाली औरत की जिंदगी में उजाले की किरण बिखेरने का था। उन के बिखराव की जिंदगी को पारिवारिक अदालतों द्वारा सहेजना था। उसे त्वरित न्याय दिलाना था क्योंकि अक्सर वर्तमान न्यायिक ढांचे में उसे न्याय नहीं मिलता और इसकी उम्मीद में उस पर अत्याचारों का सिलसिला जारी रहता है। 1968 से इस तरह के मुद्दों पर विचार आरंभ हुआ जिसे 1984 में कानूनी रूप दिया गया और महिलाओं के मुद्दों को इन पारिवारिक अदालतों में निपटाने का सुझाव दिया गया ताकि उन्हें पारिवारिक वातावरण में त्वरित ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। पर यह दुर्भाग्य ही रहा कि अभी तक देश में इसे सभी राज्यों में लागू नहीं कराया जा सका। सिर्फ महाराष्ट्र में ही यह अदालतें पूरी तरह गठित हो सकी हैं और उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों की गाइड लाइन मिली है। शेष राज्यों में अभी ऐसी अदालतें गठित नहीं हो सकी हैं जब कि भारत जैसे देश के लिए ऐसी अदालतों की नितान्त जरूरत है। लॉ कमीशन ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में ऐसी अदालतों के गठन पर जोर दिया था। उस ने यह भी कहा था कि ऐसी अदालतों से जहां महिलाओं को पारिवारिक वातावरण में अपनी समस्या त्वरित ढंग से सुलझाने का अवसर मिलेगा, वहीं कोर्ट में जाने से पहले की पृष्ठभूमि निर्मित होगी तथा कोर्ट पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाला दबाव कम होगा और ऐसे मामलों को सौहार्द, आत्मीय वातावरण में निपटाया जा सकेगा। 11वें लॉ कमीशन में अपनी 131वीं रिपोर्ट में लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ऐसे स्ट्राइक से बचने का सुझाव दिया था। पर हमारे यहां तो विरोध का सबसे अचूक हथियार हड़ताल है। बिना इस पर विचार किए कि इसका जनता और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा और देश का

ढांचा किस कदर प्रभावित होगा, वकीलों के हड़ताल पर जाने की धमकी अपने ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट का उल्लंघन है। विरोध के पक्ष में एक मात्र तर्क यह दिया जा रहा है कि इस फैसले से हजारों वकील बेरोजगार हो जायगे पर क्या आधी दुनिया की शोषित आबादी के हितों से बड़ा यह मुद्दा है? इस पर विचार किया जाना जरूरी है। महिलाओं की अंधेरी जिंदगी में खुशियों का फूल खिलाने और उन्हें न्याय की कठोर प्रक्रिया से बच कर त्वरित न्याय दिलाने के लिए क्या एक बार समझौता नहीं किया जा सकता है? इस बिना पर कि उन्हें एक बार तो अंधेरी लासद जिन्दगी से बाहर आने का मौका दिया जाए। इन पारिवारिक अदालतों का गठन एक क्रांतिकारी कदम है, स्वागत योग्य भी। इससे निस्संदेह उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो न्याय की प्रतीक्षा में अब तक सूखती रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि न्याय की बहस प्रक्रिया में उनकी जो धज्जियां पुरुष समाज द्वारा उधेड़ी जाती है उससे वह बचेंगी और पारिवारिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्हें अपनी बात कहने, अपनी समस्याएं मिल बैठ कर जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी। महिला संगठनों की मांग न्यायोचित है और इस में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

यदि राजधानी दिल्ली पर ही ध्यान दिया जाए तो अभी तक यहां सिर्फ 5 वैवाहिक अदालतें हैं जहां असंख्य मामले लम्बित पड़े हैं और महिलाएं अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। यही हालत अदालतों की है। इस पारिवारिक अदालतों के गठन से जहां दबाव कम होगा, वहीं नितांत व्यक्तिगत और पति-पत्नी के आपसी झगड़े भी मानवीय आधार पर सुलझाये जा सकेंगे और बिखराव की प्रक्रिया थमेगी। विभाजन के कगार पर खड़े परिवारों को आपसी मिलाप का आधार मिलेगा। मां-पिता के बीच बटी की स्थिति त्रिशंकु की नहीं होगी। कोई बच्चा यह नहीं कहेगी की "गर्मी थोड़ी देर और मिल लू पापा से"। जनसत्ता के 7 अगस्त में प्रकाशित यह लेख वाकई मार्मिक था ऐसी खबरों की बाढ़ रुकेगी। पारिवारिक अदालतें आज महिलाओं के इस महत्वपूर्ण एवं मानवीय मुद्दे पर सभी के सहारे की जरूरत है। देश की सर्वोच्च संस्था संसद की इस मुद्दे पर खामोशी भी दुखद है। अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश केन्द्र द्वारा भी जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर राज्य सरकारें ऐसे पारिवारिक अदालतों के गठन के लिए बाध्य हो। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं और मारग्रेट आल्वा जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। वह अच्छी तरह से जानती हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। यह मुद्दा फिर आया है। मैं चाहूंगी इसमें वह पहल करें और उनका मंत्रालय पहल करे। महिलाओं की कुछ मांगें मैं यहां रखना चाहूंगी।

उपसभापति : मैंने जो इससे पहले रूलिंग दी थी कि जब हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे उस वक्त आप यह मामला भी रखियेगा। क्योंकि महिलाओं से सम्बन्धित जितने भी मामले हैं उस वक्त अगर हाउस में डिसकस होंगे और जिन-जिन मंत्रालयों से उनका संबंध हैं वे लोग भी यहां पर रहेंगे और अपना मश्विरा होम मिनिस्टर साहब को देंगे या जो विशेष मंत्रालय बनाया है महिलाओं से संबंधित उन लोगों से बात करके एक कंसोलिडेटेड तरह का एक बिल आये जिससे कुछ मदद हो सकेगी।

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं यह कहना चाह रही हूं कि वकील लोग अभी 25 अगस्त से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है इस पारिवारिक अदालतों के गठन के विरोध में। मैं चाहूंगी गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस पर ध्यान दे और कुछ स्पष्ट निर्देश इस संम्बन्ध में दे। वकील लोग स्ट्राइक पर भी चले गये हैं और जो महिला वकील हैं, खासतौर से तीस हजारी कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में---और आज के अखबारों में दूसरा मुद्दा आया है कि महिला वकीलों को मैन हैंडल किया

गया, उनको मारापीटा गया, कोर्ट में मारा पीटा गया और उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गयी है । इस तरह की घटनायें और इस तरह के विरोध को लेकर वे लोग बहुत बड़ी रैली आयोजित कर रहे हैं । इसको रोका जाना चाहिये और महिलाओं के लिये पारिवारिक अदालतों के गठन के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिये ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यह मामला ला मिनिस्ट्री में जायेगा और उसके बाद होम मिनिस्ट्री में सारी बात खत्म होने के बाद ही आयेगा । इसलिये मैं ला मिनिस्टर से कहूंगा कि इस पर ध्यान देकर इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें ।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात) : मैं इसका समर्थन करती हूं और इसमें एक और बात कहना चाहूंगी कि...

उपसभापति : इसमें बहुत कुछ हो चुका हैं । मारग्रेट जी बोलन चाहती हैं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, I do want to say that since this issue has come up to the House, the family courts law, the Bill was passed in the House. Many States have implemented it. In Delhi, the organisations of women have been repeatedly demanding that the family courts should be established. It is unfortunate that in the capital of the country, the courts have not yet been established for the simple reason that the advocates are objecting to it. Under the Bill, in order that the atmosphere might be different, lawyers are not allowed to appear in the family courts so that the normal delay and the normal tension which comes in is not there in the family courts. Because they have been excluded from appearing in there courts, they are not allowing these courts to be set up. Every time a move is made by the Government, they oppose it and they have the strikes and demonstrations saying that they will not allow the courts to be set up. Therefore, I am appealing to the Home Minister that this is a law passed by Parliament, and I don't think any one section of the public can prevent women from getting what Parliament has given to them as a right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Specially those who know law. They are not illiterate people.

SHRIMATI MARGARET ALVA: The women who appear in these courts very often can't afford lawyers and others and there should be an atmosphere in which there is a settlement of the dispute rather than a prolonged conflict. And I think keeping this in mind, I would appeal to the Home Minister also to see that just a group of lawyers don't stop the courts from being established in Delhi. Thank you.

उपसभापति : जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है ।

SHRI S. B. CHAVAN: First I would like to react. In fact, there is no reason for Shrimati Margaret Alva to appeal to me. We can sit together and find a way out.

उपसभापति : होम मिनिस्टर साहब सारी कमान आकर आप पर टूटती है, इसलिये कि सारी मुश्किलों का आप ही हल निकालते हैं ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में ।

उपसभापति : तभी महिलाओं की समस्या आपके सामने रखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि यह चाहे आपके मंत्रालय से संबंधित हो या न हो, एक हमदर्दी रखते हुए आप महिलाओं के मसलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri John F. Fernandes.

Telephone Registration System

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Thank you, Madam Deputy Chairman. I want to draw the attention of this House to the faulty telephone registration system in the country. Madam, the system is not only faulty but also complex and outdated and it is a colonial legacy that we are continuing. When we go to apply for a telephone, the system is so complicated that we have to buy an application form from the post office after paying ten rupees. Then we will have to go to the telephone department. There we have to pay the prescribed fee and then we are told that the registration number will be posted to the concerned applicant and this number is given to the applicant after two-three months. During this time there is ample ground for manipulation and there is no transparency in this system. I would request the hon'ble Minister for Communications that this system should be made foolproof it should be made transparent. For that, I think, they have to computerise the system. The system should be such that when we apply for a telephone connection there should be a spot booking and the number should be instant. So I would request the Government to see that the telephone registration system throughout the country is computerised. Madam, this non-computerisation of telephone registration gives a scope for malpractices. 1.00 p.m. Madam, when you apply for a telephone, the queue is jumped, Madam and the number is given to a particular applicant, very late. Madam, it also leads to malpractices because most of the staff of the Telephone Department apply in benami. Now we have the PCO system, that is the Public Call Office or the Public Telephone System and these PCOs are cornered by the Telephone Department people. We have a case in my State. The son of an SDO is running a PCO in his own area. I am not against the son of a telephone official running a Public Call Office. But the question is that here the telephone system is illfed and tampered with and the calls are not billed. Madam, as a result, the Telephone Department is put to losses of lakhs and lakhs of rupees. Therefore, to do away with all this malpractice, I would suggest that the waiting list should be displayed. The Public should have access to it. It should be displayed on the notice board for public scrutiny. Again, Madam, we have the word, 'feasibility' in the telephone dictionary. This word is also a very old and obselete and colonial one, Madam. It should be removed. If I apply for a particular telephone at a particular place, I should be informed immediately that that area is not feasible, that I should not apply. Even when the Members of Parliament give their priority quota of telephones, the telephone official asks the people "Who are they to release the telephone? It is not feasible. Therefore, we will not give you the telephone." I do not think there is any fool-proof system in the Department of Telecommunications. I would appeal to the Minister of Communications to see that this is computerised and the areas where it is not feasible should be indicated at the time of application. Thank you, Madam.

Statehood for Pondicherry

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, Deputy Chairman, I am fortunate that the Home Minister is here when I raise this issue relating to my State.

उपसभापति : इसीलिए होम मिनिस्टर साहब को लीडर आफ दी हाऊस बनाया है प्रधान मंत्री जी ने।